N : 0976-0024

अप्रैल-जून 2017
अंक : 01

महिला
Mahila

विधि भारती
Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिन्दी-अंग्रेजी) शोध पत्रिका
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

Editor-in-Chief : Santosh Khanna

डॉ. रणवीर सिंह

मौलाना आजाद और शिक्षा का अधिकार

मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ राजनैतिक नेता एवं विद्वान थे। वह सन् 1923 में 35 वर्ष की आयु में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु के युवा अध्यक्ष थे। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और इस पर 15 अगस्त, 1947 से 22 फरवरी, 1958 तक बने रहे। 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' प्रदान किया गया।[1] उन्हें मौलाना आजाद के नाम से जाना जाता है। 'मौलाना' विद्वान व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जबकि आजाद उनका 'तखल्लुस' (उपनाम) था। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ और इस महान शिक्षाविद् व महान सेनानी का 22 फरवरी, 1958 को इंतकाल हो गया।

भारत में शिक्षा की बुनियाद डालने में उनके योगदान के कारण प्रत्येक भारतवासी सदियों तक उन्हें याद करेगा। वर्तमान शिक्षा का अधिकार मौलाना के सपने को सच करता है। हममें से अधिकतर लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए गए थे।[2] शायद कुछ लोग यह भी जानते हैं कि वह भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के भी हिस्सा थे। ये दोनों तथ्य तब ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम भारत में शिक्षा का अधिकार कानून बनाने के इतिहास में उनकी भूमिका की छानबीन करने के लिए बैठते हैं। पहली अप्रैल, 2010 से लागू इस कानून का सौ वर्ष का इतिहास है जिस को बनाने में मौलाना आजाद की प्रमुख भूमिका थी।

इतिहास हमें बताता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उस देश का कानून सार्वभौम बुनियादी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए माध्यम बना जिन्हें हम आज शैक्षिक रूप से विकसित देश मानते हैं।[3] ब्रिटेन में बच्चों के हालात का विस्तृत विवरण मौजूद है जिसमें बाल श्रम, उनके काम करने की फटे हाल स्थिति तथा वर्गभेद के विवरण शामिल हैं, जिनसे डेविड कोपरफील्ड की गतिविधियों पर प्रमुख उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस ने प्रेरित